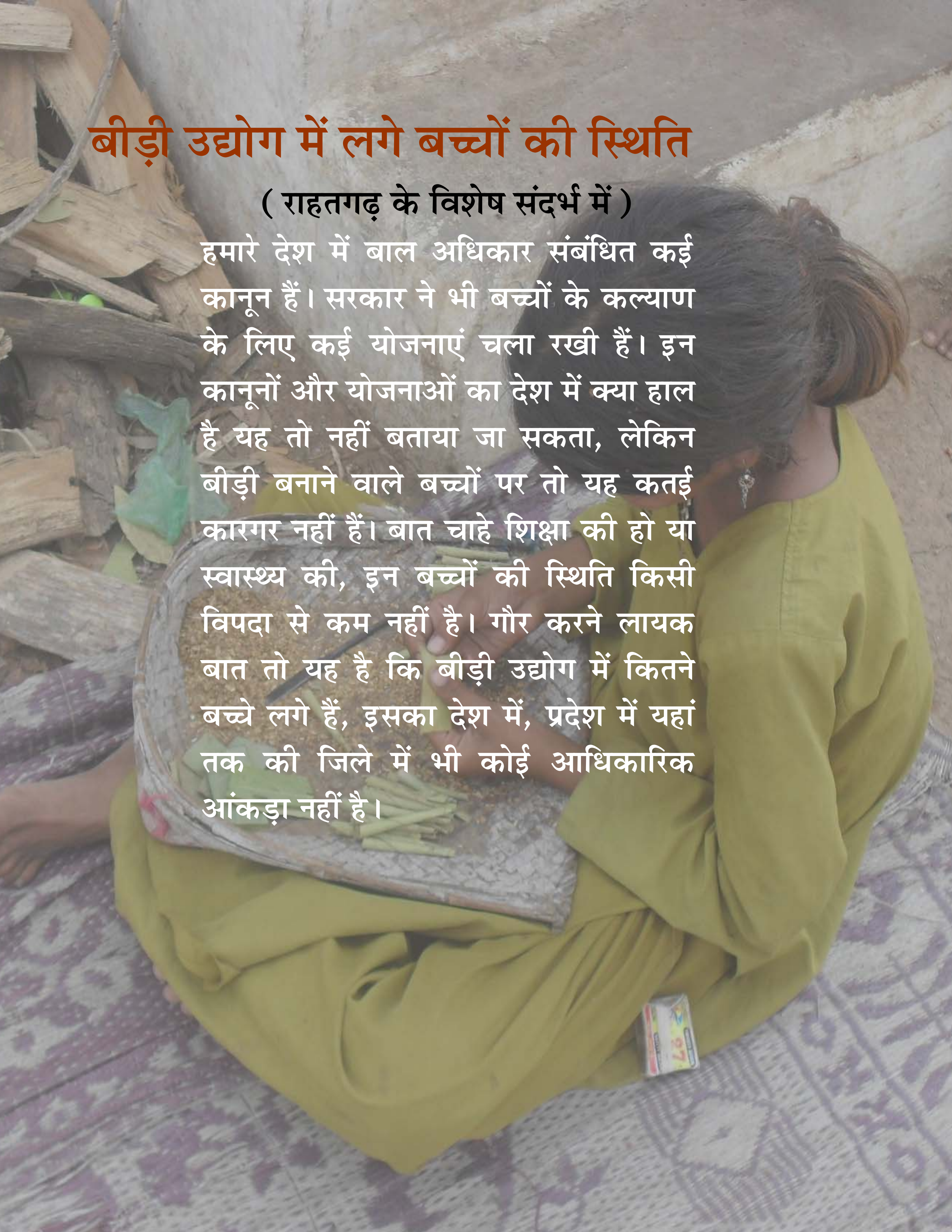

बीड़ी उद्योग में लगे बच्चों की स्थिति

(राहतगढ़ के विशेष संदर्भ में)

हमारे देश में बाल अधिकार संबंधित कई कानून हैं। सरकार ने भी बच्चों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। इन कानूनों और योजनाओं का देश में क्या हाल है यह तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन बीड़ी बनाने वाले बच्चों पर तो यह कतई कारगर नहीं हैं। बात चाहे शिक्षा की हो या स्वास्थ्य की, इन बच्चों की स्थिति किसी विपदा से कम नहीं है। गौर करने लायक बात तो यह है कि बीड़ी उद्योग में कितने बच्चे लगे हैं, इसका देश में, प्रदेश में यहां तक की जिले में भी कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है।

बीड़ी उद्योग में लगे बच्चे सप्ताह के सातों दिन और दिन भर में १० से १४ घंटे तक काम करते हैं। लम्बे समय तक तम्बाकू के सम्पर्क में रहने से उन्हें टीबी जैसी बीमारी होने का खतरा रहता है। भारत ने २ दिसम्बर १९९2 को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते* पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें से कोई भी अधिकार पूरी तरह से बीड़ी व्यवसाय में कार्यरत बच्चों को नहीं मिल रहा है। अधिकारों से दूर हट कर अगर हम जीवन जीने की आवश्यक आवश्यकताओं की बात करें तो उनका भी सर्वथा अभाव इन बच्चों और उनके परिवारों में दिखता है। इन परिवारों में पीढ़ियों से कोई नहीं पढ़ता आ रहा है, क्योंकि अगर कोई पढ़ेगा तो बीड़ी कब बनाएगा। बीड़ी बनाने में जो मजदूरी मिलती है उसमें बस इतना ही मिलता है कि बीड़ी बनाने के लिए जिंदा रह सकें। मां-बाप ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि जितने बच्चे उतने हाथ उनके लिए काम करेंगे। एक सामान्य बीड़ी मजदूर परिवार में १० से १५ बच्चे मिलना आम बात है। किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चे होते हैं। बच्चे विकास की दिशा तय करते हैं। अगर एक इतना बड़ा तबका विकास की दौड़ में पीछे छूट जाएगा तो यह कहना मुश्किल है कि देश का क्या होगा। क्या ३० फीसदी उच्च और मध्यमवर्गीय परिवार को ही हम देश मानते हैं। हाशिए पर जीने वाले तबके के लिए कब सोचा जाएगा।

---

*भारत ने २ दिसम्बर १९९2 को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जिसके तहत बच्चों के चार प्रमुख अधिकार स्वीकार किए गए थे।

1. जीने का अधिकार
2. विकास का अधिकार
3. सुरक्षा का अधिकार
4. सहभागिता का अधिकार

देखा जाए तो बीड़ी उद्योग में लगे बच्चों के लगभग सभी अधिकारों का हनन हो रहा है। ऊपर दिए गए चार प्रमुख अधिकारों के अलावा बच्चों को कुछ अनुकूल अधिकार भी प्रदान किए थे।
जो निम्न हैं

1. अपनी राय देने का अधिकार
2. विचार, अभिव्यक्ति, चेतना और धर्म की आजादी
3. निजी जीवन एवं खेलकूद का अधिकार
4. अपने क्लब और संगठन बनाने का अधिकार
5. शासन तथा मीडिया के कुछ वर्गों से अपनी आवश्यकता के अनुसार सूचना पाने और अपने, विचार तथा सूचना देने का अधिकार

मध्यप्रदेश और बीड़ी

मध्य प्रदेश बीड़ी विनिर्माण करने वाला देश का एक बड़ा राज्य है। देश के ६५ फीसदी तेंदू पत्ते का उत्पादन अकेले मध्यप्रदेश करता है। यही तेंदू पत्ता इस उद्योग को फलने फूलने का पर्याप्त स्थान देता है। सागर जिला देश में बीड़ी बनाने का सबसे बड़ा केन्द्र है। इससे सटे दमोह और जबलपुर में भी बीड़ी उद्योग काफी बड़े पैमाने पर चलता है। संभवत: यह देश के क्षेत्रों में से एक है जहां बीड़ी बनाना शुरू हुआ। प्रदेश में बीड़ी बनाने की शुरुआत १९०२ में शुरू हुई। इसके बाद १९१५ में अब्दुल नूर मोहज़्मद ने बीड़ी रोलिंग की फैक्ट्री शुरू की। १९२० आते-आते भगवानदास शोभालाल जैन ने जबलपुर में अपना कारोबार स्थापित कर लिया था। इस समय तक यह व्यवसाय खेती के बाद जिले में सबसे ज्यादा राजस्व और रोजगार उत्पन्न करने लगा था। बताया जाता है कि सत्तर के दशक में मजदूरों ने कटाई-बुआई के समय खेतों में काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय बीड़ी में मिलने वाला पैसा खेती की मजदूरी से अधिक था। इस कारण किसानों को मजदूरी बढ़ानी पड़ गई थी। हालांकि अब परिस्थिति बदल गई है। समय के साथ अपेक्षित विकास न होने की वजह से बीड़ी मजदूर हाशिए पर चले गए हैं। मध्यप्रदेश सरकार के श्रम विभाग के आंकड़ों को माने तो आज की तारीख में ९५६७१२ बीड़ी मजदूर हैं। इनमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हैं। प्रदेश के सबसे ज्यादा मजदूर बुंदेलखंड के सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ जिलों से आते हैं। इन पांच जिलों में कुल ५१२९५३ मजदूर हैं। यानी प्रदेश के आधे से भी ज्यादा मजदूर इन जिलों में रहते हैं। इन परिवारों की औसत आमदनी हजार रुपए के करीब है, जबकि परिवारों में सदस्यों की संज़्या दस से भी अधिक। बीड़ी मजदूरी में ७० फीसदी से अधिक की हिस्सेदारी मुस्लिमों की है, जबकि ३० फीसदी दलित हैं। इन परिवारों की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वे बीड़ी बनाने के अलावा कोई काम नहीं कर पाते। इसका कारण है आसपास के क्षेत्रों में दूसरे किसी काम का अभाव। सरकार ने बीड़ी मजदूरों को के लिए न्यूनमत मजदूरी, प्रोविडेंट फंड और बीमा जैसे कई प्रावधान किए हैं, लेकिन यह प्रावधान उन्हीं मजदूरों पर लागू होते हैं जो किसी बीड़ी फैक्ट्री में काम करते हों। जबकि प्रदेश में बीड़ी फैक्ट्री व्यवस्था बहुत तेजी से खत्म हो रही है। आज के समय में अधिकतर बीड़ी घर खाता व्यवस्था से बनाई जाती है। घरखाता का मतलब बीड़ी बनाने के सारे सामान घर पर पहुंचाना और बनी हुई बीड़ी गिनती कर के लेना। बीड़ी मजदूरों को प्रति एक हजार पर 32 रुपए दिए जाते हैं। एक बहुत ही रोचक तथ्य है, घरखाता प्रणाली में बीड़ी बनाने का ९० फीसदी से अधिक काम महिलाएं बच्चों की मदद से करती हैं।

(प्रदेश में बीड़ी मजदूरों की जिलेवार विस्तृत आधिकारिक संज़्या पेज 31 पर)

अध्ययन की आवश्यकता

बच्चे हमारे समाज की धुरी हैं। एक समाज कैसा होगा यह इस पर निर्भर करता है कि वह अपने बच्चों को क्या दे रहा है। उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य उनके पास आगे बढ़ने के मौके कितने हैं। लेकिन जब हम इन बीड़ी रोल करने वाले बच्चों की स्थिति देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। बच्चे बीड़ी रोल करते हुए ही बड़े हो जाते हैं। इस दौरान उन्हें कई बीमारियां भी धर लेती हैं।

इस विषय पर अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि सरकार ने इसके रोकथाम के लिए कई उपचार किए हैं पर यह आज भी बदस्तूर कायम है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बीड़ी उद्योग में महिलाओं की स्थिति पर तो काफी काम हुए हैं लेकिन बाल अधिकारों पर काम खोजने से भी नहीं मिलता। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि प्रदेश में बीड़ी उद्योग में कितने बच्चे काम करते हैं इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

जिस प्रकार कोई मनुष्य कितना भी स्वस्थ हो, मगर उसके किसी अंग को पोलियो हो जाए तो वह विकलांग कहलाएगा। उसी प्रकार देश कितनी भी तरक्की कर ले मगर उसका एक तबका नारकीय जीवन जिए तो देश भी विकलांग ही

रहेगा। एक मशहूर शायर की पंक्ति है बच्चों के नन्हें हाथों को बस चांद सितारे छूने दो। पर यहां तो चांद सितारे तो दूर तेंदू पत्ते और तंबाकू से ही फुर्सत नहीं मिलती। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी क्षेत्र में ये इतने पिछड़ जाते हैं कि विकास की बात सोचना भी इनके बस से बाहर हो जाता है। जब तक इनको विकास की मुज़्य धारा से नहीं जोड़ा जाता देश का विकास संभव नहीं है।

कहा जाता है कि जब तक मर्ज को पूरी तरह नहीं समझा जाता, इलाज सही नहीं हो सकता। इसी प्रकार अगर बीड़ी मजदूरी में लगे बच्चों की स्थिति सुधारनी है तो उनकी समस्या का अध्ययन जरूरी है। इनको देश की मुज़्य धारा से जोड़ना है तो जरूरी है कि उनके बारे में सोचा जाए, समस्या का विश्लेषण हो।

इन सबके लिए जरूरी है कि बीड़ी मजदूरी में लगे बच्चों और उनके परिवार का अध्ययन हो। जिससे आगे चलकर इस समस्या का कोई समुचित समाधान निकाला जा सके।

अध्ययन की विधि

बीड़ी उद्योग में लगे बच्चों की स्थिति जानने के लिए सामाजिक शोध प्रणाली की कई प्रक्रियाओं का सहारा लिया गया है। इनमें प्रमुख हैं-

1. सैज़्पल सर्वे विधि- इसके तहत सागर जिले के राहतगढ़ तहसील के बीड़ी श्रमिकों के प्रमुख मोहल्ले मंडी का भ्रमण किया गया। इस क्षेत्र में करीब १५०० घर हैं। जिनमें करीब ५००० हजार श्रमिकों के पास श्रम मंत्रालय द्वारा दिया गया पहचान पत्र मौजूद है। इस क्षेत्र में अनुमानित तौर पर ६००० बच्चे हैं। इन बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोस्थिति, विचार, उम्र, समुदाय, पर्यावास, वैकल्पिक कार्य, माता-पिता की आय, शिक्षा, आमदनी जानने के लिए एक प्रश्नावली भरवाई गई। इसके लिए सैज़्पल के रूप में ३२ बच्चों का चयन किया गया। इन बच्चों का चुनाव यदृच्छया (रैंडमली) किया गया।

2. साक्षात्कार- बीड़ी मजदूरों की समस्याओं को समझने के लिए कई जानकारों लोगों से बात की गई। इनमें प्रमुख हैं स्थानीय श्रमिक नेता हारुन हाफिज, स्थानीय पार्षद, जमील पार्षद, बीड़ी श्रमिक खजीजा बी आदि।

3. केस स्टडी- क्षेत्र भ्रमण के दौरान बीड़ी बनाने वाले बच्चों की जमीनी स्थिति जानने के लिए कुछ बच्चों और उनके परिवारों की केस स्टडी की गई।

4. समूह चर्चा (ग्रुप डिस्कशन)- बीड़ी मजदूरों की समस्या किस प्रकार दूर हो सकती है इस पर श्रमिकों के साथ वहां के चौपाल पर बैठ कर समूह चर्चा की गई।

5. अवलोकन- सर्वे, साक्षात्कार, केस स्टडी और समूह चर्चा के दौरान श्रमिक बच्चों और उनके माता-पिता, उनके रहन-सहन, पहनावे, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखा गया। जिससे वे बातें भी सामने आ सकें जो हमें बताई नहीं गई।

ऐतिहासिक परिप्रक्ष्य

बीड़ी बनाने वाले बच्चों का स्थिति समझने के लिए उनके परिवारों की आजीविका को जानना आवश्यक है। यह एक दुष्चक्र है जो बच्चों को बार-बार बीड़ी की ओर ढकेलता है। दरअसल बीड़ी बनाने वाले मजदूर परिवार प्रायः मुस्लिम वर्ग से आते हैं। यह वो परिवार हैं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी दो व्यवसाय किया। पहला पशुओं को एक जहग से दूसरी जगह ले जा कर बेचने का और दूसरा बीड़ी बनाने का। इसमें भी पुरुष पशुओं का व्यवसाय करते थे, जबकि महिलाएं घर में बैठ कर बीड़ी बनाने का। महिलाएं भी बीड़ी इसलिए बनाती थीं, क्योंकि यह एक ऐसा काम है जिसे घर से ही किया जा सकता है। मुस्लिम धर्म में प्रचलित पर्दा प्रथा उन्हें ऐसा करने पर विवश करता था। लम्बे समय तक इस ढर्रे पर चलने की वजह से महिलाएं बीड़ी बनाने में सिद्धहस्त हो गईं और बीड़ी बनाना उनकी कला में गिना जाने लगा। इसका असर यह हुआ कि मां अपनी बेटियों को बीड़ी बनाने के लिए तैयार करने लगीं, जिससे कि उनके विवाह में आसानी आए। इस प्रकार यह खतरनाक काम आम जीवन में उतर आया। इसके बाद धीरे-धीरे सरकार ने पशुओं के इस तरह के व्यवसाय पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया, पाबंदियों का असर यह हुआ कि बीड़ी परिवारों के पुरुष बेरोजगार होने लगे। जिस इलाके (सागर) में यह लोग रहते थे वहां आस-पास मजदूरी जैसे कामों के ज्यादा अवसर नहीं थे, पुरुष भी बीड़ी बनाने के काम में लग गए। चूंकि पुरुषों को बीड़ी बनाने का काम नहीं आता था, इसलिए वे इसको लाने, ले जाने आदि का काम करने लगे। अब एक पूरा परिवार बीड़ी बनाने लगा। हालांकि आमदनी नहीं बढ़ी क्यों कि पैसा बीड़ी का मात्रा पर मिलता है और बीड़ी की मात्रा में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई। गरीब मजबूर करती है कि अधिक से अधिक बीड़ी बनाई जाए। इसके लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक सदस्य बीड़ी बनाएं। यहीं से शुरुआत होती है बीड़ी में बालमजदूरी की।

बच्चों की शिक्षा की स्थिति

बीड़ी के काम में लगे बच्चों की शिक्षा की स्थिति बेहद गम्भीर है। राहतगढ़ के बीड़ी मजदूरों पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार लड़कियों में शिक्षा का स्तर शून्य है। यहां एक बात फिर से स्पष्ट करनी पड़ेगी कि, बीड़ी बनाने का काम लड़कियां ही किया करती हैं। सर्वे बताता है कि परिवार वाले अधिक से अधिक कुछ करते हैं तो वह है मदरसे में लड़की का नाम लिखवाना। हालांकि सच्चाई यह भी है, ये लड़कियां महीने में शायद ही कभी मदरसे का मुंह देखती हों। राहतगढ़ में किए गए प्राथमिक सर्वे में से २८ फीसदी लड़कियां मदरसे में नामांकित हैं। ७२ प्रतिशत लड़कियों को मदरसे तक नहीं भेजा गया है, स्कूल तो दूर की बात है। इन बच्चों के माता-पिता का शिक्षा का स्तर और भी बुरा है। सर्वे के अनुसार ५ फीसदी पिता पांचवी कक्षा से अधिक पढ़े हैं। कक्षा आठ के ऊपर पढ़ाई करने वालों की संज्या शून्य है। माताओं में पढ़ाई का स्तर शून्य है। सर्वे में एक भी ऐसी महिला नहीं पाई गई जिसने कभी स्कूल का मुंह देखा हो। जहां तक लड़कों का सवाल है उनका भी कमोबेश यही हाल है। दरअसल इन इलाकों में स्थित स्कूली शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि वहां समय खराब करने से ज्यादा बच्चे दूसरे काम में लगे रहते हैं। राहतगढ़ में एक एक्सिलेंस स्कूल भी है, लेकिन यह अचरज की बात है कि १२०० से अधिक विद्यार्थियों वाले इस स्कूल में मात्र ८ शिक्षक हैं। यह शिक्षक भी स्थाई शिक्षक नहीं हैं। अतिथि अध्यापक हैं। स्थानीय लोगों की माने तो ये शिक्षक विद्यालय में न पढ़ाकर ट्यूशन पढ़ाते हैं। ऐसे में गरीब बीड़ी मजदूरों के बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। कुछ समय बाद वे स्कूल भी छोड़ देते हैं। जब कोई काम नहीं रहता है तो बच्चे आस-पास ही मजदूरी करने लगते हैं। पढ़ाई की बात इनके लिए दूर की कौड़ी हो जाती है। सच्चाई तो यह है कि अधिकतर अशिक्षित मां-बाप के लिए बच्चों की पढ़ाई से अधिक महत्वपूर्ण

उनकी कमाई हो जाती है।

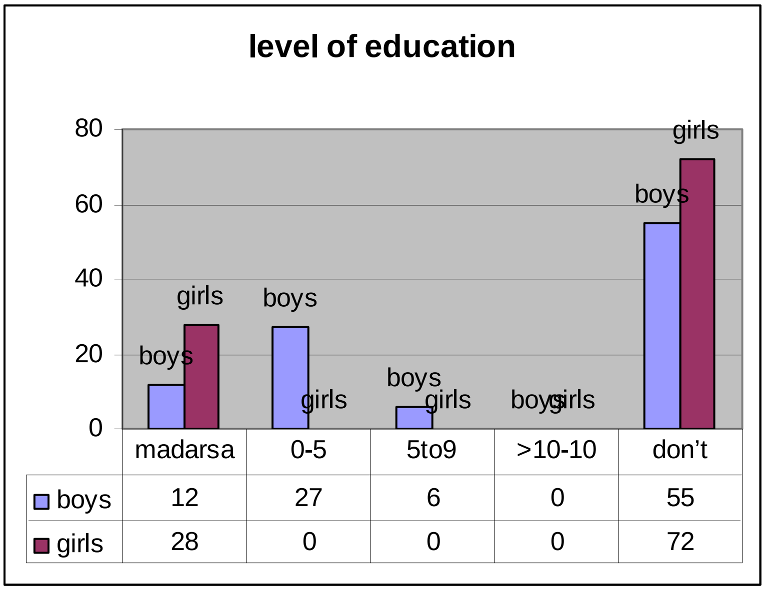

चार्ट क्रं-1

सर्वे चार्ट को देखें तो पता चलता है कि लड़के और लड़कियों में से कोई भी दसवीं की पढ़ाई नहीं कर रहा है। बिल्कुल भी पढ़ाई न करने वालों में लड़कों की संज्या ५५ जबकि लड़कियों की संज्या ७२ फीसदी है। जबकि १२ फीसदी लड़के और २८ फीसदी लड़कियां मदरसे में जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में वे उर्दू स्कूल बोलते हैं। यहां स्पष्ट है कि लड़के ज्यादा संज्या में स्कूल जाते हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ाई न होने के कारण उनका भी शैक्षणिक स्तर अशिक्षितों के समान होता है।* (सर्वे के दौरान 13 में से सिर्फ दो लड़के अपना नाम लिख कर दिखा सके । जबकि क ख ग घ किसी ने भी पूरा सही नहीं सुनाया)

स्वास्थ्य का हाल

मजदूर परिवारों की हर क्षेत्र में सबसे बड़ी दुश्मन उनकी गरीबी नजर आती है। १००० से १२०० रुपए महीना कमाने वाला परिवार निजी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नहीं जा सकता है। हालांकि सरकार ने बीड़ी मजदूरों के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं, मगर अशिक्षा के चलते वे उन योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाते। क्षेत्र भ्रमण के दौरान ऐसे ही एक वाकये ने सरकार की योजनाओं को बर्बाद करते मुलाजिमों को सामने ला दिया। बीड़ी मजदूरों के मोहल्ले मंडी में एक मोबाइल क्लिनिक आने का प्रावधान सागर स्थित बीड़ी हॉस्पिटल से किया गया है। यह हॉस्पिटल श्रम मंत्रालय का है, जिसे विशेषतौर पर बीड़ी और खनन के काम करने वाले मजदूरों के लिए बनाया गया है। इसमें दवा समेत सारा इलाज मुज्त होता है। इस मोबाइल क्लिनिक का वक्त सुबह १० बजे १२ और २ से ४ बजे तक का है, लेकिन वैन आई ११.३० बजे। १५ मिनट के बाद पर्ची बननी शुरू हुई। तकरीबन डेढ़ घंटे बाद डॉक्टर उठ खड़े हुए कि अब मेरी तबियत अच्छी नहीं लग रही है। बीड़ी मजदूरों के काफी अनुरोध के बाद वे वापस बैठ तो गए, मगर बमुश्किल १० मिनट बाद फिर से उठ गए। उस समय घड़ी में १.३० हो रहे थे। इस तरह डॉक्टर ने कुल मिलाकर पौने दो घंटे ही मरीजों की जांच की। ये अलग बात है कि इस दौरान १५६ मरीजों को स्वास्थ्य उन्होंने देख लिया। यानी एक मरीज पर औसतन ४० सेकंड का समय खर्च हुआ। इतने में इनके स्वास्थ्य का देख भाल कैसा होगा यह आसानी से समझा जा सकता है। बच्चों की बात करें तो इनकी मुज्य समस्या कुपोषण की है। खाने में जरूरी आहारों की कमी के चलते ज्यादातर बच्चे कुपोषित नजर आते हैं। बची खुची कसर उनकी नुकसानदायक आजीविका पूरी कर देती है। बीड़ी

बनाने वाली लड़कियों में आंखों में जलन, इंफेक्शन, आंखे लाल रहना जैसी समस्यांए भी भारी मात्रा में है। बीड़ी मजदूरों में भारी मात्रा में पाए जाने वाली बीमारी टीबी हालांकि इन बच्चों में नहीं पाई गई। डॉक्टरों का कहना है कि टीबी कुपोषण और तज़्बाकु के सज़्मिलत असर का परिणाम होता है, लेकिन उसमें समय लगता है। राहतगढ़ के स्थानीय अस्पताल के रजिस्टर के अनुसार २०८ मरीज टीबी के वहां हैं। इसमें से ११७ महिलाएं हैं। बचपन से ही बीड़ी बनाना शुरू कर देने के बाद महिलाएं आजीवन यही काम करती हैं। कुपोषण का स्तर उनमें ज्यादा रहता है। ज्यादा बच्चे पैदा करने से उनके शरीर की क्षमता भी कम हो जाती है, इन सब के चलते उन्हें टी.बी. का खतरा सबसे ज्यादा रहता है।

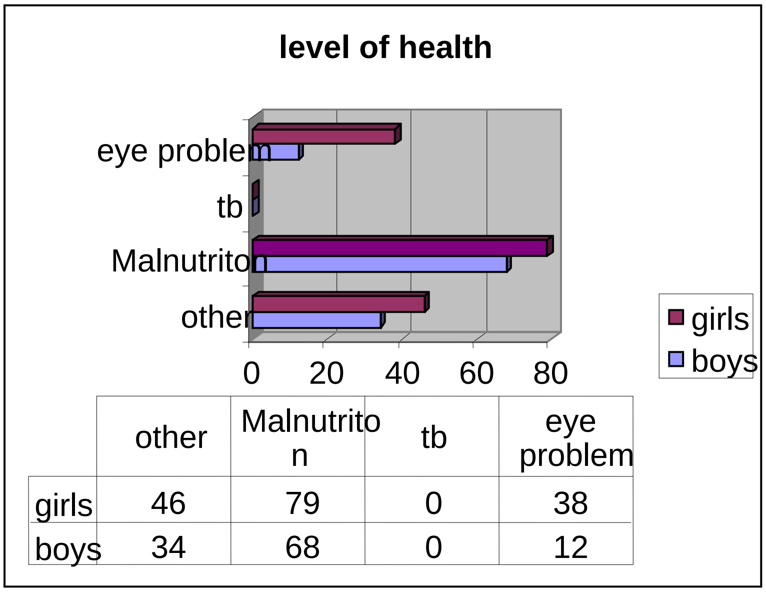

	other	Malnutriton	tb	eye problem
girls	46	79	0	38
boys	34	68	0	12

चार्ट क्रं-2

सर्वे के आधार पर बनाए गए चार्ट को देखने से यह जाहिर है कि लड़के और लड़कियों दोनों में कुपोषण की समस्या सबसे बड़ी है। ७९ प्रतिशत लड़कियां और ६८ प्रतिशत लड़के कुपोषण का शिकार हैं* (स्वयं का निरीक्षण)। लड़कों में आंख की समस्या काफी कम है, क्योंकि लड़के बीड़ी बनाने का काम बहुत कम या नहीं करते हैं। दूसरी अन्य बीमारियों में बच्चों को एनिमिया और फीवर की शिकायत रहती है।

पारिवारिक पृष्ठभूमि

बीड़ी श्रमिकों की पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानना बेहद आवश्यक है। यह ही बच्चों की सबसे बड़ी गुनाहगार है। आर्थिक और सामाजिक रूप से यह परिवार बेहद पिछड़े हुए हैं। इन परिवारों की औसत आमदनी उतनी है जितनी एक मध्यमवर्गीय परिवार सिनेमा या रेस्टोरेंट में एक दिन में खर्च कर देता है। ये परिवार महीने में ८०० से १५०० रुपए तक कमाते हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा संज़्या १००० रुपए वालों की है। जिस परिवार का पुरुष मजदूरी करता है, उसी की आमदनी १२०० से ज्यादा की होती है।

आपको यह जानकर शायद आश्चर्य हो कि, सूचना के इस युग में मंडी के किसी भी बीड़ी श्रमिक के घर में टीवी नहीं है। पंखा इक्का-दुक्का घरों में देखने को मिलता है। सामाजिक स्थिति की बात करें तो यह समुदाय हाशिए भर पड़ा हुआ है। राहतगढ़ से एक पतली गली इसे जोड़ती है। गलियों में नालियां बजबजाती हैं। साफ पानी की व्यवस्था नहीं भी है। समाज में इनकी स्थिति

सबसे नीची है। एक परिवार में ८ से १४ बच्चे तक पाए जाते हैं, जो आपको गली मोहल्लों में घूमते फिरते मिल जाएंगे। मां-बाप को इनकी कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि फिक्र करके भी वे कुछ नहीं कर सकते हैं। यहां के लोग यहां जन्म लेते हैं, यहीं उनकी शादी होती है और यहीं मर जाते हैं। बाहर की दुनिया से उनका कोई सज़्पर्क नातेदारी के रूप में नहीं है।
शिक्षा के स्तर की बात करें तो माता पूर्णत: निरक्षर है। पिता ने या तो अनपढ़ है या मदरसे में शिक्षा हासिल की है। कुछेक ने थोड़ी बहुत स्कूली शिक्षा भी हासिल की है। आजादी के ६३ साल बाद भी इन लोगों को आजादी नहीं मिली है। पूरे मोहल्ले में नालियों से पटी गलियां से जिनसे बच निकलना मुश्किल है। स्थानीय प्रशासन का भी लचर रवैया इसमें साफ दिखता है। हालांकि स्थानीय पार्षद इसमें रहवासियों का ही दोष मानते हैं, उनका कहना है कि मंडी के लोग ही विकास नहीं चाहते। उनका कहना है कि हर काम को सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, खुद भी प्रयास करने चाहिए। पार्षद महोदय की बातें तो काफी हद तक सही लगीं, लेकिन एक बात तो समझने लायक है वह यह है कि क्या सालों से कुंठित, कुत्सित जिंदगी जीने के बाद वे मजदूर कुछ ज़्ी सोचने या करने की स्थिति में हैं।

बीड़ी मजदूरों के स्थानीय नेता और ओपीनियन लीडर हारुन हाफिज बताते हैं कि कुछ साल पहले बीड़ी रोल करने का मेहनताना बढ़ाने के लिए उन लोगों ने हड़ताल की। मजदूरों की मांग थी कि उन्हें सरकारी रेट पर पैसा मिले। सरकार रेट उस समय ४२ रुपए के करीब था, जबकि मजदूरों को २५ रुपए मिला करते थे। लेकिन हड़ताल के कुछ दिन के ही भीतर मजदूरों को खाने के लाले पड़ गए। हारकर फिर उन्हें ३० रुपए पर समझौता करना पड़ा। इस एक घटना से बीड़ी पर आश्रित परिवारों की लाचारी समझ में आ जाती है। उनके पास बीड़ी बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।

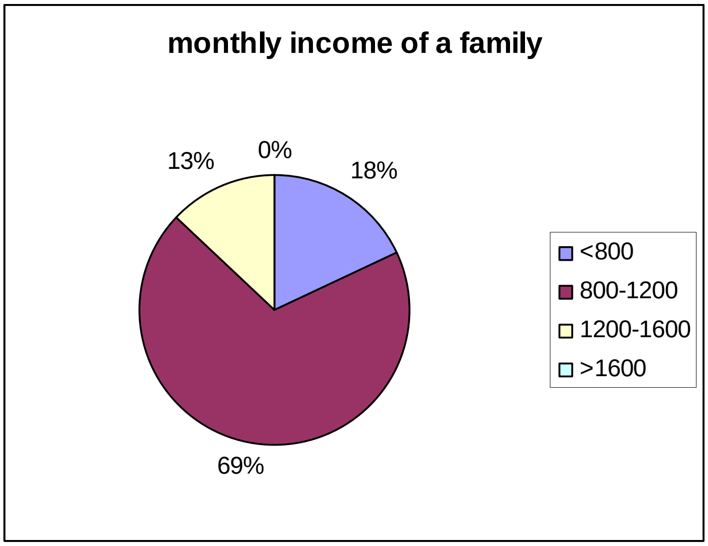

चार्ट क्रं-3

चार्ट क्रमांक-3 को देखें तो स्पष्ट है कि १६०० रुपए मासिक आमदनी वाले परिवार की संज़्या शून्य है। जबकि १८ फीसदी परिवार ऐसे हैं जिन्हें महीने में ८०० रुपए से भी कम मिलते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा उन परिवारों का है जिनकी आमदनी १२०० से १६०० रुपए है। इस वर्ग में ६९ फीसदी परिवार आते हैं।

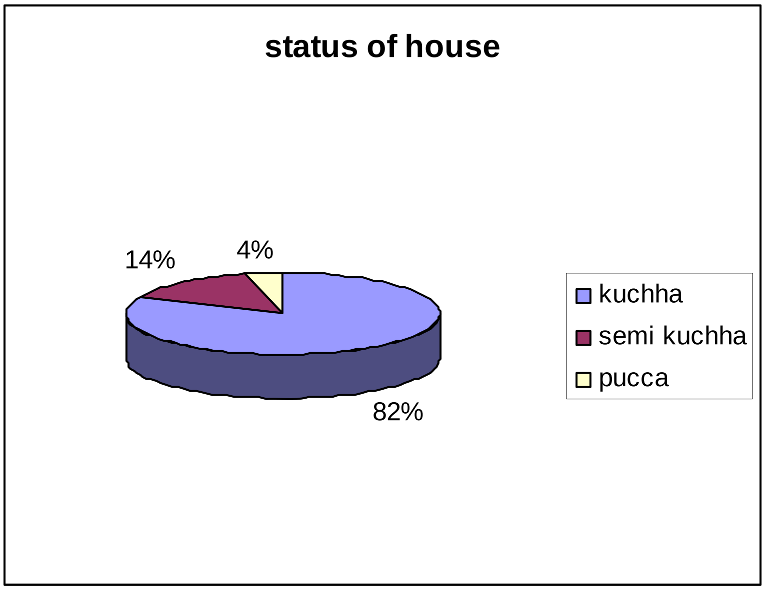

चार्ट क्रं-4

सर्वे के आंकड़े से प्राप्त चार्ट को देखें तो स्पष्ट है कि इलाके के ८२ फीसदी घर कच्चे हैं। जबकि मात्र ४ फीसदी घर ही पक्के बने हैं। हालांकि पक्के शब्द का मतलब मात्र ईंट और सीमेंट से है। 14 फीसदी घर आधे कच्चे मकानों में रहते हैं।

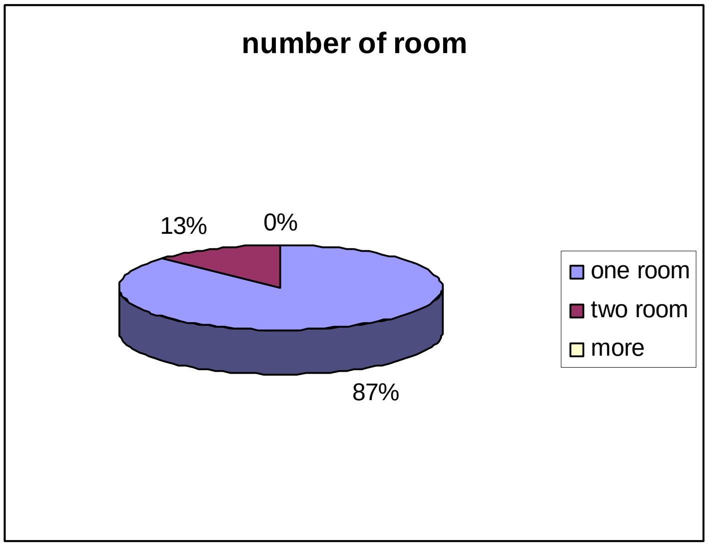

चार्ट क्रं-५

चार्ट क्रमांक-5 से जाहिर है कि ८७ प्रतिशत आबादी एक कमरे के मकान में रहती है। जबकि १३ फीसदी आबादी के पास दो कमरे का मकान है। वहीं दो से अधिक कमरे का मकान पूरी आबादी में किसी के पास नहीं है।

नरेगा का भी लाभ नहीं

गरीबों को राहत देने के लिए बनी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ यह गरीब बेरोजगार लोग नहीं ले पाते हैं। गांवों के खेतिहर मजदूरों को तो यह योजना कवर करती है, लेकिन बीड़ी बनाने वाले मजदूरों को इसका लाभ नहीं मिलता। क्योंकि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। जबकि बीड़ी बनाने वाले मजदूर शहरी इलाकों में रहते हैं। हालांकि इनके तथाकथित शहरी इलाकों की स्थिति और सुविधाएं गांवों से भी गई गुजरी हैं। इन इलाकों के बेराजगार खाली समय में गप्प मारकर अपना समय काटते हैं।

ऐसे में जरूरी लगता है कि यूपीए सरकार या तो नरेगा के दायरे में इन क्षेत्रों को भी लाए या कोई दूसरी रोजगार गारंटी जैसी योजना शुरू करे।

अन्य प्रमुख तथ्य

- कोई भी बीड़ी श्रमिक किसी प्रकार के सुरक्षा उपायों को नहीं अपनाता है। स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार बीड़ी बनाते समय दस्ताने, मास्क पहनना आवश्यक है। लेकिन कोई भी बीड़ी मजदूर इस बात का ध्यान नहीं रखता है।

- मुम्बई स्थित फैक्टरी एडवाइजरी सर्विसेज एवं लेबर इंस्टीट्यूट ने अपने एक अध्ययन में भी साबित किया है कि बीड़ी बनाने वाले श्रमिकों को क्षय रोग (टीबी) होने का खतरा ज्यादा रहता है।

- बीड़ी मजदूरों को एनिमियां, आंखों की समस्याएं, कमर–कंधे का दर्द और बर्जर की समस्याएं आम रहती हैं।

- परिवार इसे नौकरी नहीं बल्कि अपना घरेलू काम मानते हैं। बच्चों को इनमें लगाने के पीछे उनकी मानसिता यह होती है कि सभी बच्चे ऐसा करते हैं। उन्होंने ने भी अपने बचपन में ही बीड़ी बनाना शुरू कर दिया था।

- करीब 4 साल की उम्र से बच्चियों को धीरे–धीरे बीड़ी बनाना सिखाना शुरू कर दिया जाता है। 7 से 8 साल का होते–होते बच्चियां बीड़ी बनाने में कुशल हो जाती हैं। १२ साल से अधिक उम्र की लड़कियां अपने परिवार के प्रमुख बीड़ी निर्माता बन जाती हैं।
- एक प्रचलित भ्रांति है कि बीड़ी में बच्चों की मदद इसलिए ली जाती है क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई बीड़ी गोल होती है, जिसकी अधिक कीमत मिलती है। यह बिल्कुल गलत है।

- आस–पार के क्षेत्रों में रोजगार का कोई बड़ा साधन नहीं है, अगर कोई बीड़ी मजदूर कोई दूसरी नौकरी करना भी चाहता है तो वह उसे उपलब्ध नहीं है। इसके चलते श्रमिक बीड़ी बनाने के लिए मजबूर हैं।४

- हिन्दू और मुस्लिम दोनों समुदायों में धार्मिक कट्टरता बेहद ज्यादा है, इस कारण दोनों समुदाय एक दूसरे से बेहद कटे हुए रहते हैं। यह भी इनके विकास में बाधक है। क्योंकि राहतगढ़ के ज्यादातर संसाधन हिन्दुओं के पास हैं।

- सरकार द्वारा १२ कल्याणकारी योजनाएं बीड़ी मजदूरों के लिए चलाई जा रही हैं। यह योजना उन्हीं को मिलती है जिनके पास बीड़ी मजदूर का पहचान पत्र हो। इस पहचान पत्र को बनवाने के लिए श्रमिकों को अधिकारी के सामने बीड़ी बना कर दिखाना पड़ता है। यानी सरकार की तरफ से भी बीड़ी श्रमिकों को बीड़ी श्रमिक बने रहने का प्रोत्साहन मिल रहा है।

- आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता बनने के लिए मंडी से कोई महिला योग्य नहीं पाई गई, क्योंकि कोई भी महिला आठवीं पास नहीं थी। इसलिए दूसरे इलाके के महिला को कार्यकर्ता नियुक्त किया गया। जो कि घरों में ही बच्चों को कुछ खाने के सामान बांट कर चली जाती है।

- छोटे-छोटे बच्चे होटल वालों के दुकान में पानी भरते हैं। पन्द्रह लीटर का डिब्बा करीब ३०० मीटर दूर से भर कर लाने पर इन बच्चों को एक रुपया मिलता है।

- मोहल्ले में एक अकेला दूसरा उद्योग बेकरी का है। इस बेकरी में एक भी कामगार मंडी मोहल्ले का नहीं है। सभी बाहर से आए हैं, हालांकि इसमें भी मदद के नाम पर बच्चों से श्रम कराया जाता है।

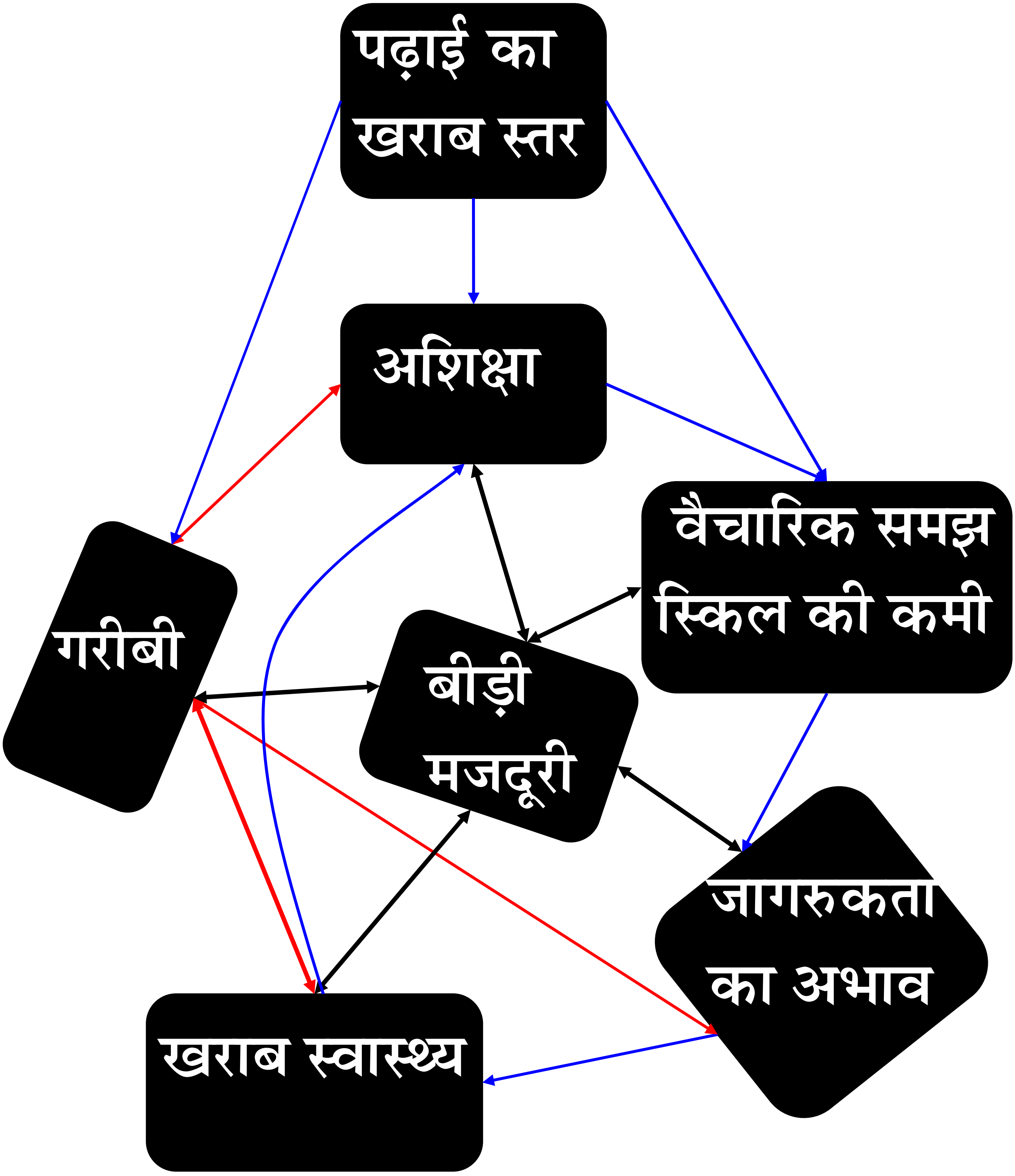

बीड़ी मजदूरी का दुष्चक्र

केस स्टडी-१

नाम-रुखसाना
उम्र- १० वर्ष
धर्म-मुस्लिम
समुदाय-कुरैशी
शिक्षा-उर्दू
लिंग- स्त्री
मकान-कच्चा, एक कमरे का

रुखसाना जब 4 साल की थी तब उसने पहली बीड़ी बनाई थी। हालांकि रुखसाना को यह बात नहीं याद है। यह हमें रुज़सााना की मां चांदनी ने बताया। आम परिवारों की बात करें तो शायद इस उम्र में बच्चे पहली बार क, ख या८, क्क लिखते हैं। रुखसाना पिछले ४ सालों से अपने परिवार के लोगों के साथ बीड़ी बना रही है। रुखसाना के छह भाई बहन और हैं, सभी उससे छोटे हैं। रुखसाना से छोटे दो भाई बीड़ी बनाते नहीं हैं, लेकिन पत्ते, तज़्बाकू ले आना, ले जाना और बनी बीड़ी को पहुंचाना वे अक्सर करते हैं। रुखसाना सुबह आठ बजे से बीड़ी रोल करना शुरू करती है। रुखसाना की मां और उसकी दादी तीनों मिलकर काम करती हैं। हालांकि बीड़ी रोल करने की सबसे मुज़्य जिज़्मेदारी रुखसाना की मां पर है, लेकिन बीड़ी बनाने में सबसे ज्यादा वक्त रुखसाना खर्च करती है। क्योंकि उसकी मां और दादी पर घर की कई अन्य जिज़्मेदारियां भी हैं। घर के लोग कहते हैं कि रुखसाना के काम में अभी तेजी नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक में वह २०० से २५० बीड़ियां ही बना पाती है। इसलिए उसे और काम करना चाहिए। रुज़सााना की दादी कहती हैं कि कल को वह किसी दूसरे घर जाएगी और इतना धीमा काम करेगी तो ससुराल वाले दूसरे ही दिन भगा देंगे। रुखसाना की शादी के वक्त यह खास ज़्याल रखा जाएगा कि वह दिन भर में कितनी बीड़ियां बना लेगी।

१० की रुखसाना को पिछले एक साल से आंखों में जलन की शिकायत है, शरीर में दर्द भी बना रहता है। लेकिन परिवार में यह कोई नहीं बात थोड़े ही है, रुखसाना की मां और उनकी दादी को भी ऐसा ही दर्द होता रहा है। कहने को रुखसाना मदरसे की तीसरी जमात में पढ़ती है, लेकिन वह पढ़ने जाती नहीं है। उसकी दादी का कहना है कि एक तो ऐसे ही दिन भर में २०० बीड़ी नहीं बना पाती, उसमें भी अगर घूमने चली जाएगी तो क्या खाक इसे कुछ आएगा। उसकी दादी के लिए मदरसे जाना घूमने के बराबर है। उनके साथ के जो लोग कई साल तक मदरसे गए उन्होंने तो कुछ किया नहीं, तो ये नन्हीं सी जान क्या कर लेगी, ऐसा उनका मानना है। रुखसाना की मां चांदनी बी और पिता यूसुफ दोनों ही अनपढ़ हैं। पूरे परिवार की कुल आमदनी ८०० से १००० रुपए महीना है। रुखसाना यह मानती है कि जो काम वह कर रही है उससे उसे दिक्कत होती है, लेकिन उसे यह भी पता है कि पूरे परिवार का खर्च चलाने के लिए उसका काम करना जरूरी है। कई सवालों के जवाब उसकी आंखें ही दे देती हैं।

उसकी आंखें बताती हैं कि वह भी अपने भाइयों की तरह खेलना चाहती है। उसे पता भी नहीं है कि पढ़ना, खेलना उसका अधिकार है। उसके जेहन में यह उभरता ही नहीं है कि वह बिना काम किए भी रह सकती है। कई बार पूछने पर कि उसे सबसे ज्यादा खुशी किस काम में मिलेगी, उसने कहा सिलाई करने में।

केस स्टडी-2

नाम-लतीफ

उम्र- १2 वर्ष

धर्म-मुस्लिम

समुदाय-कुरैशी

शिक्षा-तीसरी

लिंग- पुरुष

मकान-कच्चा, एक कमरे का

उस समय शाम के कोई ५ बज रहे होंगे। एक छोटा सा लड़का अपने हाथ में लाल रंग की एक बास्केट में कुछ लेकर जा रहा था। मेरे साथ मौजूद हारुन हाफिज ने बताया कि यह लड़का बीड़ी लेकर बिचौलिए को देने जा रहा है। मैं उस लड़के के पास गया। मेरी और उस बच्चे की करीब १५ मिनट तक बात हुई। बच्चे का नाम लतीफ है। लतीफ की उम्र १२ साल है। उसका दाखिला इस समय तीसरी क्लास में है। लतीफ पढ़ने इसलिए नहीं जाता क्योंकि मास्टर साहब कक्षा में नहीं आते हैं। हां, साल में एक बार ढाई सौ रुपए उसे मिलते हैं, जो डॉक्टर साहब आकर उसे बांट जाते हैं। लतीफ का काम तज़्बाकू, पत्ते को ले आना है। इसके अलावा बीड़ी बन जाने के बाद उसे पहुंचाना भी लतीफ का ही काम है। लतीफ अब धीरे-धीरे तज़्बाकू घोटने जैसे कामों में पिता की मदद करने लगा है। जल्द ही ये सारा काम उसे पूरी तरह आ जाना चाहिए। पैसे रुपए का हिसाब लतीफ के पिता ही करते हैं। लतीफ के अलावा इनके माता-पिता के ११ और बच्चे हैं। जिनमें से ५ की शादी भी हो चुकी है। ७ बच्चों की जिज़्मेदारी अभी भी लतीफ के पिता की है। लतीफ के घर की कुल मासिक आमदनी ८०० रुपए महीना है, जिसमें परिवार के १० सदस्यों का खर्चा चलता है।

लतीफ बताता है कि उसे भी बीड़ी बनानी आती है, कई बार वह बीड़ी बना भी चुका है, लेकिन उसे घर में बैठना अच्छा नहीं लगाता। इसलिए वह होटल और दुकानवालों के छोटे मोटे काम करने दो तीन रुपए रोज कमा लेता है। लतीफ का ज़्वाब है बड़ा होकर चाय की दुकान खोलना, क्योंकि चाय वाले के दुकान पर टीवी है।

केस स्टडी-3
नाम-शाहजबी, उम्र- ३८ वर्ष, धर्म-मुस्लिम, समुदाय-कुरैशी, शिक्षा-००
पति का नाम-अजीज अहमद, उम्र-४२ वर्ष, शिक्षा- आठवीं
मकान-कच्चा, एक कमरे का, आमदनी- १००० रुपए महीना

शाहजबी ने जब से होश सम्भाला है तब से बीड़ी बना रही है। शाहजबी को बीड़ी बनाना उसकी मां ने सिखाया था। उसकी मां की अब मौत हो चुकी है। मरते दम तक उसकी मां ने बीड़ी बनाया। शाहजबी भी जब तक बन पड़ेगा बीड़ी बनाएगी। क्योंकि शाहजबी जानती है कि उसकी आमदनी परिवार के लिए कितनी जरूरी है। साथ ही शाहजबी ये भी जानती है कि वह बीड़ी बनाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती है। शाहजबी ने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि उसके समय कोई भी पढ़ाई नहीं करता था। करीब 7 साल की उम्र से उसने बीड़ी बनाना शुरू किया था। 15 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। शादी के समय शाहजबी से यही पूछा गया था कि कितनी बीड़ियां दिन में बना लेती हो। शाहजबी को शादी के दस महीने बाद पहला लड़का हुआ। वह किस्मत को दोष देती है कि उसे अल्लाह ने ऐसे बच्चे को सौंपा था जिसके जीने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। बच्चे के इलाज की व्यवस्था सरकार ने की तो थी, लेकिन उसके लिए सागर जाना पड़ता है। सागर जाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। हालांकि शाहजबी और उसके पति को इस बात की जानकारी नहीं है कि बीड़ी अस्पताल में इलाज के लिए जाने वाले मरीजों के लिए किराए के पैसे और रुकने के पैसे का भी प्रावधान है। करीब एक साल बाद उस बच्चे का देहांत हो गया। शाहजबी फिर से बीड़ी बनाने लगी। उसके लिए बीड़ी बनाना वैसा ही है जैसा की सांस लेना। अल्लाह के करम से उसे अगली ६ औलादें सही पैदा हुईं (हालांकि फिलहाल वे कुपोषण का शिकार हैं)। पर खुदा को शाहजबी का सुख बर्दाश्त नहीं हुआ। आठवीं औलाद के रूप में उसने फिर उसे एक बेचारी औलाद दे दी। इसके भी बचने की संभावना बेहद कम है। शाहजबी का पति मोहल्ले का सबसे अधिक पढ़ा हुआ शख़्स है, इसके बावजूद उसके परिवार का यह हाल है। परिवार एक कमरे के कच्चे मकान में रहता है, जिसकी छत उड़ी हुई है। शाहजबी को आंखों में जलन की बीमारी हमेशा रहती है। इसके अलावा उसे बर्जर भी है। यह बीमारी

तज़्बाकू के ज्यादा सज़्पर्क में आने की वजह से होती है। बच्चे की बीमारी ने इस गरीब मां-बाप को इस लायक नहीं छोड़ा है कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें। वो तो अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने शाहजबी को ५ बेटियां भी दीं, जो उसकी बीड़ी बनाने में मदद करती हैं। इसमें सबसे बड़ी बेटी रुखसाना की शादी भी हो चुकी है। रुज़साना का पति अजीज अहमद आस-पास मजदूरी करके थोड़ी बहुत रकम घर लाता है। पर वह इतनी नहीं होती कि पूरे परिवार का खर्च चला सके। रुखसाना मानती है कि बीड़ी बनाना उसके और उसके लिए खतरनाक है, पर वह कहती है कि मैं यह भी जानती हूं कि बीड़ी बनाना हमारे जिन्दा रहने के लिए जरूरी है।

बीड़ी मजदूरी से सज़्बंधित प्रमुख कानून

सरकार ने बीड़ी मजदूरों का शोषण रोकने के लिए कई कानून बनाए हैं। जिसमें उनकी मजदूरी, उनके कल्याण, उनके स्वास्थ्य व उनके भविष्य का ध्यान रखा गया है। पर अत्यधिक गरीबी अशिक्षा और असंगठित होने के कारण कोई भी कानून इनकी स्थिति सुधारने में सफल नहीं हो सकता है -

-मिनिमम वेज एक्ट, १९४८

फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को प्रति एक हजार बीड़ी पर न्यूनतम वेतन की अनिवार्यता। यह अगल-अलग राज्यों में विभिन्न दरों पर मिलता है।

-दि बीडी एंड सिगार वर्कर्स (कंडीशन ऑफ इंप्लॉयमेंट) एक्ट १९६६

यह कानून बीड़ी मजदूरों के लिए बेहतर वर्क कंडीशन की बात करता है। फैक्ट्रियों पर लागू होने वाले इस कानून में वेंटिलेशन, कम भीड़भाड़, साप्ताहिक अवकाश, प्रॉविडेंट फंड और स्वास्थ्य संबंधी मानकों के बनाए रखने जैसे प्रावधान हैं।

-बीडी वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट, १९७६

यह एक्ट बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए बनाया गया था। इसमें मजदूरों को बीमा, गृहनिर्माण में मदद, साफ पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वजीफा आदि का प्रावधान है।

-दि बीड़ी वर्कर वेलफेयर सेस (एमेंडमेंट) एक्ट १९७६

बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए फंड इकट्ठा करने को केन्द्र सरकार ने बीड़ी के एक्साइज पर एक उपकर लगाया था। जिसे समय समय पर रिवाइज किया जाता है।

बीड़ी मजदूरों पर लागू प्रमुख श्रम कानून

-इक्वल रेज़्यूनरेशन एक्ट १९७६
-दि फैक्टरीज एक्ट १९४८
-इंप्लॉयीज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट १९४८

-दि इज़्प्लॉयीज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट, १९५२

कैसे सुधर सकती है स्थिति

बीड़ी मजदूरी में लगे बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए जरूरी है कि उनके परिवार की स्थिति में सुधार किया जाए। चूंकि ये परिवार एक कुचक्र में फंसे है, इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले इस कुचक्र को तोड़ा जाए। यह कुचक्र गरीबी, रोजगार, अशिक्षा, पिछड़ापन से मिलकर बना है। कुचक्र तोड़ने का एक ही तरीका होता है कि कुचक्र के किसी एक स्तज़्भ पर जोरदार धक्का लगाया जाए।

अगर कुचक्र टूट गया तो वह अपने आप सुचक्र में बदल जाएगा। स्पष्ट है कि हमें गरीबी, रोजगार, शिक्षा या पिछड़ापन किसी एक पर जबर्दस्त काम करना होगा। इसमें सबसे कम समय में अगर कोई काम किया जा सकता है तो वह है इन्हें रोजगार के नए साधन देना। शेष तीनों कार्यों को लज़्बी अवधि के लक्ष्य के साथ शुरू किया जा सकता है। वैसे भी चूंकि यह सभी एक चक्र से जुड़े हैं, इसलिए एक में सुधार होने पर दूसरे में स्वत: ही सुधार शुरू हो जाएगा।

इसके अलावा एक अन्य तरीका भी है, जिसकी बीड़ी मजदूर काफी लज़्बे समय से मांग करते आए हैं। वह है बीड़ी बनाने का सहकारीकरण करना। इस पर बात करने के लिए केरला दिनेश बीड़ी सहकारी संस्था पर बात करना जरूरी है।

१२००० मजदूरों को काम दिलाने के उद्‌देश्य से केरल सरकार ने सन्‌ १९६८ में इस समिति की स्थापना की थी। एक साल के भीतर समिति ने अपने को स्थापित कर लिया। आज इसमें ४०००० हजार से अधिक बीड़ी श्रमिक काम करते हैं। इस समिति में इन्हें बेहतर पारिश्रमिक, बोनस, मृत्यू राहत कोष, सेवा निवृत्ति लाभ योजना, कल्याण एवं पेंशन योजना जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही सप्ताह में एक सवेतन अवकाश, त्यौहारों पर भी अवकाश मिलता है। समिति के कामगार पूरी तरह से ग्लब्स और मास्क पहने के बीड़ी बनाते हैं, जिससे उन्हें बीमारी का खतरा भी कम रहता है।

अगर कुछ इस तरह की व्यवस्था इन बीड़ी मजदूरों के लिए भी की जाए, तो इनकी भी जिन्दगी में सुधार आएगा। साथ ही इन मजदूरों के बच्चे भी अच्छी जिंदगी बसर कर सकेंगे।

इसके अलावा लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर जैसे केन्द्र शुरू किए जा सकते हैं, क्योंकि घरों में सबसे ज्यादा बीड़ी बनाने में लड़कियां ही लिप्त हैं। इन्हें भी इस माध्यम से बीमारी की दलदल से बाहर निकाला जा सकता है।

प्रदेश में पंजीकृत बीड़ी मजदूरों की संज़्या

संभाग	जिले का नाम	पंजीकृत संस्थानों की संज़्या	बीडी सिगार कर्मकार अधिनियम के तहत संधारित स्थापना पंजी अनुसार कार्यरत श्रमिक			परिचय पत्र धारक बीडी श्रमिक (31.12.06 की स्थिति में)
			परिसर	घरखाता	योग	
इंदौर	इंदौर	5	138	1825	1963	6307
	धार	–	–	–	–	–
	झाबुआ	–	–	–	–	–
	खरगोन	1	10	22	32	7235
	बड़वानी	–	–	–	–	–
	खंडवा/बुरहानपुर	11	66	1560	1621	23143
	योग	17	214	3407	3616	36685
उज्जैन	उज्जैन	1	5	88	93	2222
	देवास	13	72	326	398	877
	रतलाम	4	29	–	29	461
	शाजापुर	–	–	–	–	–
	मन्दसौर	–	–	–	–	–
	नीमच	–	–	–	–	–
	योग	18	106	414	520	3560
भोपाल	भोपाल	16	163	665	828	19657
	सीहोर	3	24	100	124	550
	रायसेन	6	60	893	953	14912
	राजगढ़	1	3	120	123	826
	विदिशा	6	19	217	236	4456
	बैतूल	–	–	–	–	–
	योग	32	269	1995	2264	40401
जबलपुर	जबलपुर	28	1018	6970	7988	108155
	कटनी	10	540	3622	4162	78785
	नरसिंहपुर	11	72	1450	1522	8792
	छिन्दवाड़ा	–	–	–	–	–
	सिवनी	–	–	–	–	–
	बालाघाट	8	182	3606	3788	17286
	मंडला	–	–	–	–	–

	डिंडोरी	–	–	–	–	–
	योग	57	1812	15648	17460	213018
ग्वालियर	ग्वालियर	11	138	1519	1657	14877
	शिवपुरी	–	–	–	–	1422
	गुना	11	136	1987	2123	15742
	दतिया	8	27	153	180	3004
	योग	30	301	3659	3960	35045
रीवा	रीवा	4	88	898	986	14145
	शहडोल	1	–	3	3	272
	सीधी	1	2	58	60	751
	उमरिया	5	–	7	7	70
	सतना	21	845	1168	2013	95888
	योग	32	935	2134	3069	111126
सागर	सागर	125	2833	34288	37121	341653
	दमोह	42	1081	14514	15595	138584
	पन्ना	5	7	57	64	7977
	टीकमगढ़	3	6	30	36	5876
	छतरपुर	3	64	638	702	18863
	योग	178	3991	49527	53518	512953
होशंगाबाद	होशंगाबाद	2	9	56	65	956
	हरदा	1	4	51	55	311
	योग	3	13	107	189	1267
चज़्बल	मुरैना	–	5	60	65	428
	श्योपुर	2	12	–	12	2229
	भिंड	–	–	–	–	–
	योग	2	17	60	77	2657
	महायोग	369	7658	76951	84604	956712